

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

Ref. No.CSJMU/AR(PP)/ 54(1) /2010

Dated : 10 - 12 - 2010

क्रमांक :

मूल्य रू0 200/- (दो सौ मात्र)

निविदा-प्रपत्र

विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों हेतु ट्रेवेल एजेंसियों से वाहन दरों हेतु दिनांक 31.12.2010 को अपरान्ह 2:00 बजे तक, जिन्हें सम्बन्धित कार्य करने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव हो, निविदायें आमंत्रित की जाती है, जो कि उसी तिथि को अपरान्ह 3:00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल स्थित सभा कक्ष में खोली जायेंगी। निविदा पत्र के लिफाफे के ऊपर “ट्रेवेल एजेंसी से वाहन दरों हेतु निविदा” लिखना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र में निर्धारित धरोहर राशि रू0 20,000/- (बीस हजार मात्र) नगद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के नाम जमा करना आवश्यक है। धरोहर धनराशि के अभाव में निविदा पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। अपेक्षित निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kanpuruniversity.org से भी डाउनलोड किया जा सकते हैं। किन्तु डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रू0 200/- (दो सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

कुलसचिव

निविदा प्रपत्र का विवरण निम्नवत् है :-

1. ट्रेवेल एजेंसी का नाम व पता :
2. ट्रेवेल एजेंसी की पंजीकरण संख्या :
3. ट्रेवेल एजेंसी का टैन नं0 :
4. ट्रेवेल एजेंसी के स्वामी का पैन नम्बर:
5. निविदा प्रपत्र क्रय करने सम्बन्धी विवरण -
रसीद/बैंक ड्राफ्ट सं0 दिनांक बैंक का नाम
राशि
6. विश्वविद्यालय में जमा की गयी प्रतिभूति राशि रू0 20,000/- (बीस हजार मात्र) का विवरण
बैंक ड्राफ्ट सं0/रसीद सं0 दिनांक बैंक का नाम
7. **वाहन** **वाहन दर** **विवरण**
मारुति वैन/टाटा सूमो/मार्शल/इण्डिका/
ए.सी./नॉन ए.सी./डी.सी.एम. (बन्द)
1. स्थानीय
2. बाहर

आवेदक के हस्ताक्षर :

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

ट्रैवेल्स एजेंसियों से वाहन दरों हेतु निविदा

आवश्यक शर्तें एवं निर्देश -

1. ट्रैवेल्स एजेंसी द्वारा रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से अनुबन्ध करना होगा ।
2. ट्रैवेल्स एजेंसी द्वारा रू0 20,000/- (बीस हजार मात्र) की सुरक्षा धनराशि कैश काउन्टर पर अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के पक्ष में देय हो, जमा कराना अनिवार्य होगा । बिना सुरक्षा धनराशि के आपकी निविदा पर विचार करना सम्भव नहीं होगा ।
3. वाहन का पंजीकरण व काम्प्रहेंसिव बीमा अद्यतन होना अनिवार्य है ।
4. चालकों को समग्र रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए । चालकों के पास नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस सेवा प्रदाता द्वारा सुनिश्चित होना अनिवार्य है ।
5. किराये पर लिए गये वाहन का रख-रखाव तथा उस पर आया सम्पूर्ण व्यय एजेंसी को वहन करना होगा ।
6. चालक का वेतन तथा विधिक कार्यवाही की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता (एजेंसी) की होगी ।
7. कार्य समाप्त होने के पश्चात अनुबन्ध के अनुरूप बिल प्रस्तुत करने होंगे तथा अलग-अलग कार्य का अलग-अलग बिल प्रस्तुत करना होगा । बिलों में सम्बन्धित कार्यों का विधिवत् उल्लेख करना होगा एवं बिल सम्बन्धित अधिकारी/सहायक द्वारा सत्यापित होना चाहिए ।
8. अनुबन्ध में निर्धारित दरों का पुनरीक्षण विश्वविद्यालय के निर्णय के अधीन होगा ।
9. राष्ट्रीय बचत व एफ.डी.आर. प्रतिभूति मान्य नहीं होंगी ।
10. एजेंसी को किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय में कार्य करने का कम से कम 05 वर्ष अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
11. दरों के साथ सभी प्रकार के करों का भी स्पष्टतः उल्लेख किया जाना चाहिए । स्पष्टतः उल्लिखित किये गये करों के अतिरिक्त अन्य कोई कर/शुल्क आदि का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा ।
12. समस्त दूरियों की माप विश्वविद्यालय मुख्यालय (प्रशासनिक भवन) से की जायेगी ।

कुलसचिव